न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.)

करण संख्याः— 07/2019 अपील
र दिनांकः— 26/06/2019
र्णय दिनांकः— 18/03/2020

अनवान

1. डाली बाई पुत्री शंकरलाल पत्नि नानालाल जाति सुथार निवासी हाल निवासी पहुंनी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ।
2. मोहनी देवी पुत्री शंकरलाल पत्नि मंवरलाल जाति सुथार निवासी सांवलपुरा हाल ढेलाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
3. भगवानी पुत्री शंकरलाल पत्नि माधुलाल जाति सुथार निवासी सांवलपुरा हाल निवासी पहुंनी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ

अपीलाण्टगण

बनाम

1. ऐजी बाई पत्नि शंकरलाल जाति सुथार निवासी सांवलपुरा तहसील रेलमगरा ।
2. ग्राम पंचायत जवासिया , तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

रेस्पोडेण्टगण

पील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 374 द्वारा ग्राम पंचायत जवासिया निर्णय दिनांक13/09/2019

निर्णय

अपीलांट की और से जरिये अधिवक्ता अपील अपीलांट विरूद्ध नामान्तरकरण ख्या 374 दिनांक 13/09/1996 के प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत जवासिया ा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 374 दिनांक 13/09/1996 विधि ,न्याय एवं तथ्यों के द्ध होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम सांवलपुरा पटवार हल्का जवासिया में आराजी ख्या 587 , 588 , 589, 590 , 591, 592, 593 कुल किता 07 कुल रकबा 12 बिघा 15 वा में निम्न कृषि भूमिंया स्थित है । अपील की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि ाजीयात् में अपीलाण्टगण के पिता शंकरलाल व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पति तथा नी , सुन्दर के पिता शंकरलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उनके स्वामित्व एवं पत्य में भूमियां थी। शंकरलाल का स्वर्गवास हो गया था । उनके स्वर्गवास पश्चात् लाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व मगनी , सुन्दर अपने अपने हिस्से अनुसार भूमियों उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट तथा मगनी , सुन्दर शंकरलाल के विधिक वारिसान् है जो उनके हिस्से की भूमियों के स्वामी होकर खातेदार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कृषक है। शंकरलाल की पुत्री सुन्दर बाई का देहान्त भी दिनांक 03/05/2016 को हो चुका है । जिनके विधिक वारिस् रतनी व नारायण लाल है। शंकरलाल का स्वर्गवास होने से कानुनन उक्त भुमियों का नामान्तरकरण अपीलाण्टगण , रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व मगनी , सुन्दर के नाम होने का प्रावधान है । अपीलाण्टगण व मगनी सुन्दर शंकरलाल की पुत्रियां है व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 पत्नि है जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार अपीलाण्ट्स एंव रेस्पोडेण्ट व मगनी, सुन्दर ही उक्त भुमि यानि स्वर्गीय शंकरलाल के हिस्से की भूमियों को बराबर हिस्से के स्वामी होकर खातेदार है। अपील की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमियां शंकरलाल की मृत्यु पश्चात् अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स 01 तथा मगनी, सुन्दर के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरिक्षक ने स्वर्गीय शंकरलाल के विधिक वारिसान् की बिना जांच किये ही रेस्पोडेण्ट सं. 01 के नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से मिलीभगत कर निर्गित कर दिया गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को जानकारी थी कि उनकी पुत्रियां जीवित है और उक्त भूमियों में उन सभी का बराबर बराबर हक अधिकार है फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से उक्त नामान्तरकरण निर्गित करा दिया। जो अपीलाण्ट के मुकाबले अवैध, शुन्य एवं प्रभावहीन है। उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोडेण्ट सं. 01 को उक्त भूमियों में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत जवासिया द्वारा शंकरलाल के विधिक वारिसानों के नाम पर नामान्तरकरण नही निर्गित कर अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम नामान्तकरण निर्गित कर भारी विधिक भूल की है जो नामान्तरकरण कानुनन निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट्स गांव की अनपढ महिलायें है जिन्हें राजस्व रेकार्ड के बारे में कोई जानकारी नही है तथा न ही उन्हें राजस्व रेकार्ड की पुर्व में कोई आवश्यकता पडी जिस कारण अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नही थी कुछ समय पुर्व किसान समृद्धि योजना में जमाबंदी की आवश्यकता होने पर नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उन्होने अपीलाण्ट के नाम कोई भूमि होना नहीं बताया जिससे अपीलाण्ट्स ने राजस्व रेकार्ड की प्रतियां प्राप्त कर नामान्तरकरण की प्रति दिनांक 27/05/2019 को प्राप्त कर अतिशीघ्र यह अपीलयहां प्रस्तुत की है। फिर भी अपीलाण्ट्स धारा 05 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से इस न्यायालय में इस अपील के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेण्टगण को जरिये सुचना तलब के बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की ग्राम पंचायत द्वारा बिना उक्त नामान्तरण के सम्बंध में पक्षकारान को बिना सुनवाई की जांच किये बिना ही नामान्तरण पारित किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारान को सुन कर नये सिरे से नामान्तरण पारित फरमाया जावें। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जवासिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 374 दिनांक 13/09/1996 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कि जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सुन जांच कर नये सिरे से विधिक वारिसानों के नाम पर नामान्तरण की कार्यवाही की जावे पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(उप खण्डाधिकारी)
रेलमगरा